न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 155–दो/2009, विरूद्ध आदेश दिनांक 15–01–2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 241/2007–08

.....

वीरसिंह पुत्र सूरजसिंह जाति राजपूत
ठाकुर, निवासी–ग्राम मेहरा अमायन
तहसील मेहगांव, जिला–भिण्ड ..... आवेदक

विरूद्ध

बैजन्तीबाई पत्नी नाथूसिंह पुत्री नबाबसिंह
निवासी–ग्राम बड़ोखर पर0 मेहगांव
जिला–भिण्ड ..... अनावेदिका

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, जिला–मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–01–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील गोहद के ग्राम अंधियारीकलां में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 111 रकबा 1.31 है0 में से मिन् रकबा 0.48 सर्वे क्रमांक 356 रकबा 0.17 है0, सर्वे क्रमांक 370 रकबा 0.83 है0 में हिस्सा रकबा 1.06 है0 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी नबाबसिंह थे । नबाबसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि अनावेदिका बैजन्तीबाई द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नबाबसिंह की मृत्यु होने के कारण विवादित भूमि नामांतरण किये जाने का आवेदन–पत्र पेश किया । आवेदक द्वारा मृतक नबाबसिंह की पुत्री का पुत्र होने के आधार पर विवादित भूमि पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/2005–06/अ–6 में प्रकरण दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 25–01–2007 से वारिसान के आधार पर आवेदक के हक में विवादित भूमि का नामान्तरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2007 से दुःखी होकर अनावेदिका द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोहद में अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 66/2006–07/अपील माल पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 28–06–2008 द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25–01–2007 निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–06–2008 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत माना है एवं विचाराधीन आदेश यथावत रखते हुये आदेश दिनांक 15–01–2009 पारित किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–01–2009 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचना का आदेश पारित करना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है । प्रकरण को साक्ष्य हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक व अनावेदिका के साक्ष्य ली जाकर पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह कहीं उल्लेख नहीं किया कि मुझे अपनी साक्ष्य का प्रस्तुत करने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने आधार पर प्रकरण को साक्ष्य हेतु रिमाण्ड करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कतई उल्लेख नहीं किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा किस प्रकार की

अतिरिक्त साक्ष्य लेना चाहिये । सम्पूर्ण साक्ष्य हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है । विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद पक्षकारों द्वारा अवसर का लाभ प्राप्त नहीं किया तक फ्लोप ऑफ लेकुना की पूर्ति हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर आदेश पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के पेज नं0 3 के पैरा 4 में प्रकरण में दो वासियतों की व्याख्या की गई है । प्रकरण में एक ही वसीयत का विवाद है दूसरी वसीयत है ही नहीं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अवलोकन ही नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दो वसीयत मान्य कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में गंभीर भूल की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होकर निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म0प्र0 शासन द्वारा अविवादित नामांतरण निर्देशों कर गलत सहारा लिया गया है । जब पूर्व में प्रस्तुत अपील में पारित आदेश द्वारा नामांतरण पंजी पर यिा गया नामांतरण को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया रिमाण्ड आदेश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया है । तब प्रथम अपील न्यायालय को साक्ष्य की विवेचना कर आदेश पारित करना चाहिये था ऐसा न कर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की है । अनावेदिका द्वारा सर्वप्रथम नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन में वसीयत का कोई उल्लेख नहीं किया वाद में कूटरचित वसीयत तैयार की है । नवाबसिंह की मृत्यु दिनांक 18–12–04 को हुई है तथा वसीयत पर कहीं दिनांक 18–12–04 अंकित किया गया है । यदि अनावेदिका पर वसीयत होती तो प्रथम प्रस्तुत नामांतरण के साथ प्रस्तुत नामांतरण के साथ प्रस्तुत की जाती इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करने में भूल की है । अनावेदिका की साक्ष्य में वसीयत के गवाह गुटालीसिंह ने अपने कथन में कहा है कि वसीयत मेरे सामने नहीं लिखी गई और न ही वसीयत पर में हस्ताक्षर है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर साक्ष्य की विवेचना किये मनगढ़त आधारों पर आदेश पारित किया गया है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार तहसील गोहद के आदेश को स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदक ने अपने निगरानी मेमों में मुख्य रूप से आपत्ति अनावेदिका के हित में हुये वसीयतनामें के आधार पर से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने के सम्बन्ध में की है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष

मौखिक बहस में स्व0 नवाबसिंह द्वारा प्रार्थी (वीरसिंह) के हक में विवादित भूमि के हक त्याग विलेख का उल्लेख किया है । प्रार्थी नवाबसिंह का उत्तराधिकारी नहीं है । प्रार्थी ने अपने न्यायालय कथन दिनांक 08–12–06 को अपनी मॉ भूरी बाई की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व (वर्ष 1996 में) होना बताई है जबकि भूमिस्वामी की मृत्यु वर्ष 2004 में अर्थात भूरी बाई की मृत्यु के 8 वर्ष बाद हुई है भूरीबाई अपने पिता के जीवन काल में ही मर चुकी थी इसलिये संहिता की धारा 164 के अनुसार भूरी बाई को विवादित भूमि में कोई स्वत्व व हक प्राप्त नहीं हुआ था इसलिये आवेदक को भी विवादित भूमि में कोई स्वत्व व हक प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत वर्ष 1990 रा0नि0 294–AIR (1986) 1753 S C (सु0को) का हवाला दिया गया । लिखित तर्क में यह भी बताया कि नवाबसिंह के परिवार में कोई पुरूष सदस्य नहीं था इसलिये विवादित सम्पत्ति नवाबसिंह की स्व अर्जीत सम्पत्ति थी उसे अपने जीवन काल में विक्रय, वसीयत व दान आदि करने का हक था हिन्दू विधि के अनुसार किसी भाई के हिस्से में आयी सम्पत्ति उसकी स्वअर्जीत सम्पत्ति हो जाती है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1999(II) MPJR शो–नो 23 का हवाला दिया गया । नवाबसिंह ने अपनी सम्पत्ति अर्थात विवादित भूमि का वसीयतनामा समक्ष गवाहन दिनांक 18–04–2004 को समपादित किया था इसके अलावा अनावेदिका नवाबसिंह की एक मात्र पुत्री होने से भूमिस्वामी नवाबसिंह की उत्तराधिकारी होने से विवादित सम्पत्ति की स्वत्व स्वामित्वधारी हो गयी है । अनावेदिका के हित में सम्पादित वसीयतनामा के बावत विचारण न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 व साक्ष्य विधान की धारा 68 के अनुसार साक्ष्य की विवेचना नहीं की है जबकि अनावेदिका का वसीयतनामा का यह निष्कर्ष की वसीयतनामा पर अनावेदिका के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है विधि के विपरित भा0उत्तरा0अधि0 की धारा 63 के अनुसार वसीयत ग्रहिता के हस्ताक्षर होने का प्रावधान नहीं है । मात्र वसीयत करता व प्रमाणित करता साक्ष्यों के हस्ताक्षर किये जाने का प्रावधान है । अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपना आदेश मात्र पक्ष विरोधी (Hostile) साक्षी लटूरी पर केन्द्रित रखा है जब कि वसीयत लिखने वाले साक्षी भारत सिंह ने अपने कथन में नवाबसिंह द्वारा वसीयतनामा लिखाया जाना व पढ़ समक्ष कर नवाबसिंह द्वारा हस्ताक्षर करना बताया है विचारण न्यायालय को वसीयतनामा पर विधि अनुसार साक्ष्य का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना चाहिए था विचारण न्यायालय ने अनावेदिका के वसीयतनामें को अनदेखा कर उत्तराधिकर पर निष्कर्ष दिया है जो विधि विरूद्ध था जिसे निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई गलती नहीं की है । प्रकरण में नवाबसिंह द्वारा सम्पादित 2 वसीयतनामों का विवाद है मकरंद सिंह पुत्र मोघ सिंह निवासी मलपुरा तह0 मिहोना जिला भिण्ड द्वारा भी उसके हित में सम्पादित वसीयतनामा दिनांक 17–12–2004 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार मिहोना के यहॉ

प्रस्तुत किया था जिसका प्र0क्र013/04–05/अ–6 आदेश दिनांक 24–06–2005 को मकरंद सिंह के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका बैजन्ती बाई ने अपील अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष प्रस्तुत की जिसका प्र0क्र0 275/05–06 अपील था जो आदेश दिनांक 24–01–2007 को स्वीकार कर मकरंद सिंह का नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण गुण–दोषों पर निराकरण हेतु विचारण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया गया । इस प्रकार नवाबसिंह द्वारा एक वसीयत अनावेदिका के हित में दिनांक 18–12–2004 को सम्पादित की है तथा दूसरी वसीयत मकरंद सिंह के हित में सम्पादित होने का विवाद है जिसका निराकरण विचारण न्यायालय में होना है अधीनस्थ दोनों अपील न्यायालयों ने वसीतनामों के सम्बन्ध में आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की है । जहॉ दो वसीयतनामें हों वहां दोनों वसीयतों की वैधता की जांच की जाना आवश्यक है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2005 रा0नि0 228 का हवाला दिया गया । लिखित में यह भी बताया कि आवेदक ने अपनी मौखिक बहस में नवाबसिंह द्वारा आवेदक वीरसिंह के हक में विवादित भूमि का "हक त्याग" करने बावत बताया है । एक ओर तो आवेदक वारिसान के आधार पर नामांतरण चाहता है तथा दूसरी ओर "हक त्याग" का भी आधार ले रहा है । आवेदक के दोनों आधार एक दूसरे के विरोधाभाषी है । अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें कानूनन हस्तक्षेप बिना किसी ठोस आधार पर नहीं किया जा सकता । अनावेदिका भूमिस्वामी नवाबसिंह की पुत्री होने से नवाबसिंह की उत्तराधिकारी है तथा नवाबसिंह की वसीयती उत्तराधिकारी भी है जबकि आवेदक का कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। अंत में अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकुल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। यह प्रकरण वसीयतनामें के आधार पर नामांतरण का है । तहसील न्यायालय में बैजन्तीबाई द्वारा जो वसीयतनामा प्रस्तुत किया है उसके प्रमुख गवाह गुटालीसिंह ने अपने कथन साक्ष्य दिनांक 30–11–2007 में यह उल्लेख किया है कि नबावसिंह ने उसके सामने बैजन्ती बाई के हक में कोई वसीयतनामा सम्पादित नहीं किया था तथा प्रश्नाधीन वसीयतनामें पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । ऐसी स्थिति में बैजन्तीबाई की वसीयत उसके गवाह गुटालीसिंह के साक्ष्य के आधार पर विधिनुसार प्रमाणित नहीं हुई है तथा ऐसी वसीयत के आधार पर नामान्तरण किये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर सहमति के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के समान भाग पर

किया गया नामान्तरण आदेश दिनांक 25–1–2007 विधिअनुकूल होने स्थिर रखे जाने योग्य है । वसीयत सिद्ध नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः जॉच हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2008 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 25–1–09 में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा है जो अनौचित्यपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2007 स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर